न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:– 11/2022/आवेदन अं0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. किशना राम पुत्र केशाराम
2. राजु देवी पत्नि किशनाराम

समस्त जाति जाट निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. लुणाराम पुत्र रामुराम जाति बलाई निवासी कांकरा तह0 दांतारामगढ।
2. तहसीलदार दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

3. गजेन्द्र पुत्र शोभागमल
4. हीरालाल पुत्र नाथू

समस्त जाति महाजन निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रफोर्मा/अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय दिनांक 09.05.2022

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 1140, 1180/1261, 1183/1259, 1188/1260 किता 4 कुल रकबा 2.63 हैक्टर वाके ग्राम कांकरा प0ह0 कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज अनुसार हक हिस्सा है। उक्त भूमियों में से प्रार्थीगण की विवादित भूमियां खसरा नम्बर 1183/1259 रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम कांकरा प0ह0 कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 का हक हिस्सा मौके पर कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा है उपरोक्त कृषि भूमियां का श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान का आवेदन

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

पेश करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ ने क्रमांक/कैम्प/21/83 दिनांक 12.10.2021 की पालना में हल्का पटवारी हल्का कांकरा के द्वारा मौके पर दिनांक 20.10.2021 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.10.2021 की फोटो प्रति सलंग्न आवेदन है। विधिवत सीमाज्ञान होने के बाद आज तक मौके पर पत्थरगढी नहीं होने से पड़ौसी खातेदार लुणाराम पुत्र रामुराम जाति बलाई निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रार्थीगण के सुचारू कब्जे, काश्त में दखलअंदाजी करने में लगे हुए है जिससे प्रार्थीगण व उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 के मध्य आये दिन खेत की सीमा को लेकर वाद विवाद व लड़ाई झगड़ा होता रहाता है। मुताबिक सीमाज्ञान मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना अतिआवश्यक है। अप्रार्थीगण या किसी अन्य दीगर व्यक्ति का प्रार्थीगण के उक्त हक हिस्से की कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के कृषि कार्य में व्यवधान डालते है एवं ट्रेक्टर को बुआई जुताई करने से रोक देते है। भूमि खसरा नम्बर 1183/1259 के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 बाधा डाल रहे है, ग्राम कांकरा के निशान खसरा नम्बर 1184 दक्षिणी दिशा में ग्राम सीमा के पत्थर नं. 94 तथा पश्चिमी में खसरा नम्बर 1123 गैर मु. झरड़ा से जरीब चलाकर सीमा जानकारी करवाई गयी जो कि पुख्ता निशान है, से जरीब चलाकर विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1183/1259 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम कांकरा प0ह0 कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम कांकरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2076–79 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1183/1259 किता 1 कुल रकबा 1.60 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/4 राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का कांकरा दिनांक 20.10.2021 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 20.10.2021 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/5/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ